कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय,भवन अरेरा हिल्स भोपाल स्थित केंटीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा की शर्तों संबंधी निविदा प्रलेख म0प्र0 उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.in** पर उपलब्ध है। इच्छुक संस्थायें/व्यक्तियों/कंपनियां अपना आवेदन निविदा शर्तो के संबध में सहमति दर्शाते हुए दिनांक 11/5/2016 को दोपहर 1.00 बजे तक रजिस्ट्रार कार्यालय, जिला न्यायालय, भोपाल मे जमा कर सकते है । निविदा उक्त दिनांक को सांयकाल 4.00 बजे आवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी । निविदा प्रलेख/आवेदन राशि रूपये 100/– नगद जमा करने पर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल से दिनांक 9/5/2016 तक कार्यालयीन समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल(म0प्र0)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल (म.प्र.)

//निविदा प्रलेख//

नवीन जिला न्यायालय भवन भोपाल में दिनांक 01.06.2016 से दिनांक 31.05.2017 तक एक वर्ष की अवधि के लिए केंटीन संचालन हेतु विस्तृत विवरण एवं शर्ते निम्नानुसार है :–

निविदाकर्ता द्वारा निविदा आवेदन प्रस्तुत करते समय राशि रूपये 5,000/– की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के नाम से प्रस्तुत करना होगा।

केंटीन संचालन हेतु राशि रूपये 2,00,000/–(दो लाख रूपये) की F.D.R. जिला न्यायाधीश भोपाल के नाम से एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटित होने पर प्रस्तुत करना होगी।

प्रीमियम राशि (मासिक किराया) की न्यूनतम दर रूपये 77835....../–या स्वीकृत निविदा के अनुसार प्रतिमाह निर्धारित की गई प्रीमियम राशि प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को अग्रिम देय होगी, यदि लगातार तीन माह तक प्रीमियम राशि जमा न किए जाने की दशा में अमानत राशि जप्त कर वसूल की जाएगी तथा ठेका तत्काल निरस्त किया जावेगा।

व्यवसायिक प्रतिष्ठान लायसेंस के रूप में विशिष्ट कार्य हेतु एक वर्ष के लिए दिया जावेगा तथा प्राप्त निविदाओं में से जो सबसे उच्चतर की निविदा होगी उसे मान्य किया जाएगा।

विकलांग/विधवा/परित्यक्ता/सशस्त्र बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तथा अनुभव प्राप्त बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

प्रतिष्ठान का पंजीयन नगर निगम भोपाल संस्थापना अधिनियम के अंतर्गत कराया जाना आवश्यक होगा।

व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

व्यवसायिक प्रतिष्ठान का व्यवसाय न्यायालयीन कार्य दिवस समय में ही किया जाएगा।

जिला न्यायाधीश का एकमात्र विवेकाधिकार आवंटन के संबंध में अंतिम होगा।

व्यवसायिक प्रतिष्ठान उन्हें आवंटित स्थान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण/संरचना नहीं करेंगे तथा अस्थाई निर्माण नहीं करेंगे जो शासकीय संपत्ति को क्षति कारित करता हो।

व्यवसायिक प्रतिष्ठान में ऐसा अस्थाई निर्माण जो कि व्यवसाय के संचालन में आवश्यक है,पूर्व में जिला न्यायाधीश को प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुए अनुमोदित कराने के उपरांत ही कर सकेंगे।

12. व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु आवंटित स्थान को साफ–सुथरा तथा प्रदूषण से मुक्त रखेंगें तथा किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र या ऑडियो सिस्टम उपयोग नहीं करेंगे।

13. आवंटित व्यवसायिक प्रतिष्ठान को किसी अन्य को आवंटित नहीं कर सकेंगे।

14. दुकान संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर एवं जल कनेक्शन प्राप्त करना होगा।

15. जिला न्यायाधीश भोपाल को यह अधिकार होगा कि व्यवसायिक प्रतिष्ठान को दिए गए लायसेंस किसी समय बिना कारण बताए एक माह का नोटिस देकर निरस्त कर दे और उस दशा में ऐसे आवंटितों को एक माह की अवधि में व्यवसायिक प्रतिष्ठान हटाना होगा अन्यथा जिला न्यायाधीश को यह अधिकार होगा कि ऐसे स्थान को रिक्त करा ले।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल(म0प्र0)